संख्या-50/2017/1575/22-2-2016-17(322)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2*** ***लखनऊ: दिनांक 19 जनवरी, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बन्धा पुत्र श्री डोरी, निवासी जनपद-शाहजहांपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34845/प्रोबे-3/(एम-12-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बन्धा पुत्र श्री डोरी, निवासी ग्राम-मिंयापुर, थाना-सिधौली, जनपद-शाहजहांपुर का रहने वाला है। बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, कांता व लाठी से मारकर ज्वाला प्रसाद नामक व्यक्ति की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-417/1976 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-396 के अन्तर्गत मा0 प्रथमअपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाहजहांपुर द्वारा दिनांक 27-09-1979 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.09.2016 तक 19 वर्ष 01 माह 20 दिन की अपरिहार तथा 25 वर्ष 05 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में आने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने में अशक्त प्रतीत नहीं होने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने तथा बन्दी के परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की आख्या/संस्तुति में बन्दी की रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बन्दी बन्धा पुत्र श्री डोरी, निवासी जनपद-शाहजहांपुर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी बन्धा (बन्दी संख्या-45107) पुत्र श्री डोरी निवासी जनपद-शाहजहांपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-50/2017/1575(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार बरेली।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**शासनादेश सख्या-50/2017/1575/22-2-2016-17(322)/2016**

**दिनांक 19 जनवरी, 2017 का संलग्नक**

**<u>सरकार के आदेश</u>**

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बन्धा पुत्र श्री डोरी, निवासी ग्राम-मिंयापुर, थाना-सिधौली, जनपद-शाहजहांपुर का रहने वाला है। बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, कांता व लाठी से मारकर ज्वाला प्रसाद नामक व्यक्ति की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-417/1976 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-396 के अन्तर्गत मा0 प्रथमअपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाहजहांपुर द्वारा दिनांक 27-09-1979 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.09.2016 तक 19 वर्ष 01 माह 20 दिन की अपरिहार तथा 25 वर्ष 05 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में आने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने में अशक्त प्रतीत नहीं होने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने तथा बन्दी के परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की आख्या/संस्तुति में बन्दी की रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बन्धा पुत्र श्री डोरी, निवासी जनपद-शाहजहांपुर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in